

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस .

क्रमांक रीडर/2025/ 7006

दिनांक - 27.08.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हड्डुमानराम 2 मानाराम  
पिसरान मगाराम जाति  
जाट निवासी साईयों का  
तला बाटाडू तहसील  
बाटाडू जिला बाड़मेर।

1 जोगाराम पुत्र रावताराम 2 हीराराम पुत्र पुनमाराम  
3 गंगाराम पुत्र केसराराम 4 हनुमानराम पुत्र आदूराम  
5 दलाराम पुत्र खेताराम 6 दमी पत्नि सोनाराम 7  
दलाराम पुत्र कृपाराम 8 हुकमाराम पुत्र चेनाराम  
जाति जाट निवासी साईयो का तला बाटाडू तहसील  
बाटाडू जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 348/2025

दिनांक- 19/08/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा साईयों का तला पटवार हल्का साईयों का तला तहसील बाटाडू

जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1690/1247 रकबा 2.9205 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ

पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 7007 - 7010

दिनांक- 27.08.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी साईयों का तला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी हड्डुमानराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी साईयों का तला बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जोगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी साईयो का तला बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

